रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 1999/चैत्र 16, 1921
No. 82] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 1999/CHAITRA 16, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 5 (आर ई-99)/1997—2002

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1999

फा. सं. 1/94/180/504/ए एम 99/पी सी-4.—का. आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-3-1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में यथाअधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा ई पी सी जी और अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि की बढ़ोत्तरी के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं :

1. **1.4.92** को या इसके बाद जारी अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में, जहां लाइसेंस धारक निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर सका है, वहां वह सार्वजनिक सूचना की तारीख से डेढ़ वर्ष के लिए निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन कर सकता है । उसे बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की तारीख से आयात की तारीख तक उपयोग में न लाई गयी छूट प्राप्त सामग्री पर 24% साधारण ब्याज सहित सीमाशुल्क के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और यदि वह बढ़ाई गई अवधि में निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर पाता तो इसे जब्त कर लिया जाएगा । बैंक गारण्टी **31-3-2002** तक वैध होगी ।

यह सुविधा मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों को मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों में परिवर्तित करने पर भी उपलब्ध होगी ।

2. निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार जारी किए गए ई पी सी जी लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंसधारक **31.3.2001** तक निर्यात दायित्व अवधि में बढ़ोत्तरी के लिए योग्य समझा जाएगा बशर्ते कि लाइसेंस धारक जो पूर्व निर्धारित समयावधि में निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर सका है वह निर्यात

दायित्व पूरा न कर सकने के समानुपात मात्रा में 24 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित सीमाशुल्क के लिए बैंक गारंटी देकर निर्यात दायित्व अधविध में बढ़ोत्तरी के लिए आवेदन कर सकता है ।

(1) सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी सी(पी एन)/1990-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के तहत अधिसूचित आयात और निर्यात नीति 1990-93 खण्ड-1 (समय-समय पर यथासंशोधित पैराग्राफ 197) ।

(2) सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी पी(पी एन)/1992-97 दिनांक 31 मार्च 1997 के तहत अधिसूचित निर्यात और आयात नीति 1992-97 (समय-समय पर यथासंशोधित पैराग्राफ 38) ।

(3) अधिसूचना संख्या 22(एन 3) 1992-97 दिनांक 30 जून 1992 के तहत अधिसूचित निर्यात और आयात नीति 1992-97 (पुन: मुद्रण 1997 समय-समय पर यथासंशोधित पैराग्राफ 38) ।

(4) निर्यात व आयात नीति (संशोधित संस्करण 1993 पैराग्राफ 38 व 46 ए समय समय पर संशोधित) अधिसूचना संख्या (आर ई) 1992-97 दिनांक 31 मार्च, 1993 ।

(5) निर्यात व आयात नीति 1997 (संशोधित संस्करण मार्च, 194 पैराग्राफ 38 व 46 ए समय समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना संख्या (34 (आर ई) 1992-97 दिनांक 31 मार्च, 1994 ।

(6) अधि सूचना संख्या 1 (आर ई) 1992-97 दिनांक 31 मार्च, 1995 के तहत अधिसूचित नियंत्रित आयात नीति 1992-97 (समय समय पर यथा संशोधित) संशोधित संस्करण मार्च, 1995 पैराग्राफ 38)

बढ़ी हुई अवधि में निर्यात दायित्व पूरा ना करने की दशा में पूर्व उल्लिखित बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी, बैंक गारंटी 31-3-2002 तक वैध होगी ।

3. अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन इस सार्वजनिक सूचना से 60 दिन के भीतर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे । जिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी मूल रूप से यह लाइसेंस वही निर्यात दायित्व अवधि में बढ़ोत्तरी हेतु सक्षम होगा ।

4. तथापि, जिन लाइसेंसों के संबंध में जालसाजी/धोखाधड़ी की जानकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को मिली हो उनके निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, जिन लाइसेंसों के संबंध में न्याय निर्णय आदेश पहले से जारी कर दिए गए हों उनके निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी ।

5. जिन मामलों में लाइसेंसधारक ने इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत दी गई सुविधा का लाभ नहीं उठाया हो उन मामलों में इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 60 दिनों की अवधि के समाप्त होने पर न्याय निर्णय प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।

6. उन मामलों में जहाँ, निर्यात दायित्व की पूर्ति इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से पहले लेकिन निर्यात दायित्व की निर्धारित अवधि के बाद की गई हो उन निर्यातों के मामले में विनियमन के प्रयोजन हेतु निर्यात दायित्व की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया मान लिया जाएगा ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 5(RE-99) /1997—2002

New Delhi, the 6th April, 1999

F. No. 01/94/180/504/AM 99/PC-IV.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India extraordinary, Part-II—Section 3—Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-1997, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the following guidelines for extension in export obligation period in respect of EPCG and Advance Licences :

1. In respect of Advance Licences issued on or after 1.4.92, where the licence holder has failed to complete his export obligation within the stipulated time limit, he can apply for extension of export obligation period for 1½ years from the date of the Public Notice on submission of a Bank Guarantee, covering the Customs duty together with 24% simple interest on the unutilised exempt material from the date of import upto 31.3.2001, which shall be forfeited in the event of non fulfilment of export obligation in the extended period. Bank Guarantee should be valid upto 31.3.2002.

The above facility shall also be available to Value Based Advance Licence after converting the same into a Quantity Based Advance Licence.

2. In respect of EPCG licences issued in pursuance of the following notifications, the licence holder shall be deemed to be eligible for extension of export obligation period upto 31.03.2001 provided the licence holder who has failed to complete his export obligation within the earlier stipulated time limit, applies for extension of export obligation period on submission of a Bank Guarantee, covering the Customs duty in proportion to the unfulfilled export obligation together with 24% simple interest thereon from the date of import upto 30.9.2001.

i) Import & Export Policy 1990-93,Vol.I(Paragraph 197 as amended from time to time) notified under Public Notice No.1-ITC (PN) 1990-93 dated 30th March, 1990;

ii) Export & Import Policy 1992-97 (Paragraph 38 as amended from time to time) notified under Public Notice No.1-ITC(PN) 1992-97 dated 31st March, 1992;

iii) Export & Import Policy 1992-97 (Reprint June, 1992 - Paragraph 38 as amended from time to time) notified under Notification No.22 (N.3) 1992-97 dated 30th June, 1992;

iv) Export & Import Policy 1992-97 (Revised edition March, 1993 – Paragraphs 38 and 46A as amended from time to time) notified under Notification No.1(RE) 1992-97 dated 31st March, 1993;

v) Export & Import Policy 1992-97 (Revised edition March'94 – Paragraphs 38 and 46A as amended from time to time) notified under Notification No.34(RE) 1992-97 Dated 31st March, 1994;

vi) Export Import Policy 1992-97 (Revised edition March'95 – Paragraph 38 as amended from time to time) notified under Notification No.1(RE) 1992-97 Dated 31st March, 1995.

The aforementioned Bank Guarantee shall be forfeited in the event of non fulfilment of export obligation in the extended period. Bank Guarantee should be valid upto 31.3.2002.

3. The request for extension shall be filed with the concerned licensing authority within a period of 60 days from the date of the Public Notice. The licensing authority which originally issued the licence shall be competent to grant extension in export obligation period.

4. However, no extension in export obligation shall be allowed in respect of the licences where misrepresentation/fraud has come to the notice of the licensing authorities. Further, in respect of licences where adjudicating orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible.

5. In such cases where the licence holder has not availed the facility accorded under this Public Notice, adjudication proceeding shall be initiated on the expiry of 60 days from the date of this Public Notice.

6. In such cases where export obligation has been fulfilled prior to the date of this Public Notice but outside the prescribed export obligation period, such exports shall be deemed to have been made within the prescribed Export Obligation period for the purpose of regularisation of the case.

This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1999